भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2873

(दिनांक 15.12.2021 को उत्तर के लिए)

गैर-संवर्ग अधिकारी

2873. श्री प्रदीप कुमार सिंह :
डॉ. आलोक कुमार सुमन :
श्री सुनील कुमार सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड आदि जैसे कई राज्यों में अखिल भारतीय सेवाओं के पदों के संबंध में संवर्ग के पदों पर गैर-संवर्ग अधिकारियों की नियुक्ति की सूचनाएं है जिसके कारण प्रशासनिक दक्षता प्रभावित होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और सेवा-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त राज्यों में गत पांच वर्षों के दौरान संवर्ग पदों के रिक्त होने या गैर-संवर्ग अधिकारियों द्वारा धारित होने की स्थिति में भी गैर-संवर्ग पदों पर पदस्थापित संवर्ग अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अखिल भारतीय संवर्ग नियमों के उल्लंघन की सूचनाएं हैं क्योंकि एक संवर्ग अधिकारी के पास अनुमेय समय अवधि के बाद भी एक से अधिक संवर्ग पदों का प्रभार है जिससे उक्त विभागों का कामकाज प्रभावित होता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ङ) : जब कभी भी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) संवर्ग नियमावली, 1954 के नियम 9 और नियम 11 के साथ-साथ उसके उल्लंघन के कोई मामले इस विभाग के संज्ञान में आते हैं तो संबंधित राज्य सरकारों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।

*****